148

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली - 110001.

दिनांक : 31 मई, 2010
ज्येष्ठ 10, 1932 (शक)

अधिसूचना

सं० 318/2/2010(1).—यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी और भारत के राजपत्र में 31 मई, 2010 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की है कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें :—

सारणी

	राज्य	निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या
	1	2
1	छतीसगढ़	2
2	मध्य प्रदेश	3
3	तमिलनाडु	6
4	कर्नाटक	4
5	उड़ीसा	3
6	महाराष्ट्र	6
7	पंजाब	2
8	राजस्थान	4
9	उत्तर प्रदेश	11
10	उत्तराखंड	1
11	बिहार	5
12	झारखंड	2
	कुल ..	49

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा—

(अ) उक्त वर्णित निर्वाचन के संबंध में :—

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख .. 7 जून, 2010 (सोमवार)

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख .. 8 जून, 2010 (मंगलवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख .. 10 जून, 2010 (गुरुवार)

(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, और .. 17 जून, 2010 (गुरुवार)

(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा .. 19 जून, 2010 (शनिवार)

नियत करता है; और

(इ) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ है तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा ।

आदेश से,

(हस्ताक्षर) . . .,

(के. अजय कुमार),
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

13141 CS(P) Govt. Press, U.T., Chd.